

टिप्पणियाँ—(1) जब किसी उच्च अधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश का केवल कोई अंश ही छोड़ा जाता है तो उस मामले में नियम 145 के प्राविधाय लागू होंगे।

(2) यदि किसी कर्मचारी को उच्च प्राधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश को या उसके किसी अंश को छोड़ना पड़ता है तो दीर्घावकाश समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् महालेखाकार के निम्न प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र भेजना चाहिये। राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिस पर सहायक नियम 15 /-के अन्तर्गत दिया हुआ अपवाद लागू होता है, प्रमाण-पत्र को दीर्घावकाश के समाप्त होने के बाद नहीं बल्कि जब वह अवकाश के लिये आवेदन-पत्र दे तो उसी के साथ महालेखाकार को भेजना चाहिये। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र स्वयं उसी के द्वारा ही उस उच्च प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना चाहिये, जिसके आदेशानुसार दीर्घावकाश को पूर्ण रूप से या उसके कुछ अंश को छोड़ना पड़ा है अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र को उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके उसके अवकाश लेखे को साथ लगा देना चाहिये तथा उस आशय की एक प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में भी कर देनी चाहिये।

मैं प्रमाणित करता हूँ मुझे.....(विद्यालय, महाविद्यालय आदि) के 19.....वर्ष के दीर्घावकाश की अवधि में इयूटी पर.....(उच्च प्राधिकारी का नाम के आदेशानुसार, जो पत्र संख्या.....दिनांक.....द्वारा दिया गया, रोक लिया गया था।

प्रतिहस्ताक्षरित

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

उच्च प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

पदनाम.....।

(3) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अपने स्थानान्तरण के कारण दीर्घावकाश की पूरी अवधि का उपभोग करने से वंचित रहा हो मूल नियम 82 (ख) के प्रयोजन के लिए दीर्घावकाश के उपभोग किये गये अंश में वह समय घटाया जायेगा जो उसने वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में बिताया हो न कि वह पूरा कार्यभार ग्रहण काल जो नियमों के अन्तर्गत उसे अनुमन्य हो। □

अध्याय 11-क

अध्ययन अवकाश नियम

उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 84 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये नियम

टिप्पणी—इस अध्याय के नियम केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राज्यपाल के नियमकारी के अधीन हैं। ये भारत सचिव के अधिकारियों पर लागू नहीं होते, जिन पर इस खण्ड के भाग 1 के मूल नियम 84 के नीचे उद्धरित अध्ययन अवकाश नियम लागू होते हैं।

146-क. निम्नलिखित नियम राज्यपाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वैधानिक प्राविधिक या समान समस्याओं के अध्ययन के लिये या प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये बनाये गये हैं। ये नियम केवल अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित हैं। उन सरकारी कर्मचारियों का मामला इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता जिन्हें शासन द्वारा अन्य देशों में या तो उनकी सौंपी गई विशेष इयूटी को करने के लिये या उनकी तकनीकी इयूटी से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसन्धान के लिए भेजा गया हो। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 50 तथा 51 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने गुणागुण के अनुसार निपटायें जाते रहेंगे। ये नियम जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभागों पर लागू होते हैं (केवल महाद्वीप के द्वीपों को छोड़कर, जिसके लिये विशेष नियम लागू होते हैं)। शासन द्वारा इन नियमों की किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी लागू कर सकते हैं जो उपर्युक्त किसी भी विभाग का न हो और जिसके मामले में उनकी यह राय हो वे वह

समझते हों कि अध्ययन के किसी विशेष पाठ्य-क्रम को पूरा करने के लिये अथवा किसी वैधानिक या तकनीकी प्रकार के अन्वेषण के लिये जनहित में अवकाश स्वीकृत करना चाहिये।

टिप्पणी—इन नियमों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के ऊपर लागू कर देने से उन वर्तमान नियमों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारी को जब वे इंग्लैंड में अवकाश पर हों वहाँ के इन्जीनियरिंग के निर्माण कार्यों को देखने की अनुमति दे दी जाती है।

1—इन नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन शासन द्वारा ऐसी शर्तों के साथ उच्चायुक्त को किया जा सकता है जो वे लगाना उचित समझें।

2—अध्ययन अवकाश के प्रयोजन के लिये अर्द्ध-औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश, भारत में अथवा भारत के बाहर लिया जा सकता है। शासन द्वारा यह ऊपर लिखित किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी एक विभाग के संवर्ग में स्थायी हो और किसी अन्य विभाग में स्थायी रूप से कार्य कर रहा हो, अवकाश निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुये स्वीकृत किया जा सकता है—

(क) उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य को करते रहने के लिये स्थानीय प्रबन्ध किया जा सकता है, तथा

(ख) अवकाश स्वीकृत करने के पहले जिस विभाग में वह स्थायी हो उसके संस्तुति प्राप्त कर ली गई हों।

अध्ययन अवकाश साधारणतया उन सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं करना चाहिये जिन्होंने पाँच वर्ष से कम की सेवा कर रखी हो और न उन सरकारी कर्मचारियों को जिनको सेवा से निवृत्ति होने के लिए विकल्प देने को तीन साल रह गये हों।

3—अध्ययन जनसेवा की आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुये ही सही किया जायेगा। इस अवकाश की स्वीकृति असाधारण अवकाश पर या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को मिलाकर किसी भी दशा में ऐसी नहीं होनी चाहिये कि या तो सरकारी कर्मचारी की अपनी नियमित इयूटी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक हो या सरकारी कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि में वह 2 साल से अधिक बढ़ जाये। न तो वह इतनी जल्दी-जल्दी स्वीकृत करना चाहिये जिससे उसका अपने नियमित कार्य से सम्पर्क हट जाये या उसको अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण संवर्ग में कुछ कठिनाइयाँ पड़ें। एक बार में 12 महीने की अवधि साधारणतया उचित अधिकतम माना जायेगा और केवल असाधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक नहीं होना चाहिये।

नियम 3 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

इस नियम में निर्धारित सरकारी कर्मचारी की नियत इयूटी से अनुपस्थिति की 28 महीने की सीमा में यदि कोई दीर्घावकाश लिया गया है तो उसकी अवधि भी सम्मिलित है, जिसके साथ अध्ययन अवकाश या अन्य अवकाश मिलाया जा सकता है।

4—सरकारी कर्मचारी जिसका अध्ययन अवकाश किसी अन्य अवकाश से मिलाया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय में लेना चाहिये जिससे कि उसके समाप्त होने पर उसके पास पहले से स्वीकृत दूसरे अवकाश की इतनी अवधि बच रहे जो उसके इयूटी पर लौटने में जो समय लगे उसके लिये पर्याप्त हो।

5—जब किसी सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत किया गया हो, परन्तु बाद में उसे यह प्रतीत होता है कि उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये अवकाश की अवधि के बहुत पहले ही समाप्त हो जायेगा तो उसकी इयूटी से अनुपस्थिति को उस अवधि के बराबर अध्ययन अवकाश कम कर दिया जायेगा, जब तक कि शासन उसे उस अवधि के लिये साधारण अवकाश लेने की अनुमति नहीं दे देता।

6—केवल उन मामलों को छोड़कर जिनका प्रावधान नियम 7 में किया गया है, अध्ययन अवकाश के लिये सब प्रार्थना-पत्र महालेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ विभागाध्यक्ष को निर्धारित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत

किये जायेंगे तथा जिस पाठ्यक्रमों के अध्ययन को पूरा करना हो और जिस परीक्षा में अभ्यर्थी को बैठना हो उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यदि अध्ययन का पाठ्यक्रम योरोप या अमेरिका में पूरा करना हो तो विभागाध्यक्ष को उच्चायुक्त के सामान्य विभाग के सचिव के पास अध्ययन के स्वीकृत कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि के साथ अग्रसारित करना चाहिये। यदि सरकारी कर्मचारी के लिये अपने मूल प्रार्थना-पत्र में उक्त पूर्ण विवरण देना सम्भव न हो या यदि भारत छोड़ने के पश्चात् उसे उस कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़े, जो भारत में अनुमोदित किया गया है तो यथाशीघ्र भारत के उच्चायुक्त के सचिव सामान्य विभाग को विवरण भेजे जाने चाहिये। ऐसे मामलों में उसे जब तक कि उस पाठ्यक्रम की स्वीकृति उच्चायुक्त द्वारा प्राप्त न हो जाये तब तक उसे उस अध्ययन के पाठ्यक्रम को न तो आरम्भ करना चाहिये और न उससे संबंधित कोई व्यय करना चाहिये, जब तक कि वह अपनी ही जिम्मेदारी पर ऐसा करने के लिये तैयार न हो।

7—सरकारी कर्मचारी जो योरोप या अमेरिका में अवकाश पर हो और वे अपने अवकाश के किसी अंश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना चाहते हों, उन्हें अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व तथा उससे संबंधित व्यय करने के पूर्व अपने अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रम को भारत के उच्चायुक्त के सामान्य विभाग के सचिव के पास प्रस्तुत करना चाहिये। कार्यक्रम के साथ उस पाठ्यक्रम का सरकारी स्लेव्स भी भेजना चाहिये, यदि कोई उपलब्ध हो तथा उसके साथ इस बात का लेख्य साक्ष्य भी होनी चाहिये कि उस कार्यक्रम विशेष को अथवा परीक्षा को शासन ने स्वीकृत कर लिया है। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में यदि उच्चायुक्त स्वीकृत दे दें तो कार्यक्रम को आरम्भ कर देना चाहिये परन्तु जब तक कि शासन की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती हो तब तक कोई अवकाश भत्ता देय नहीं होगा। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी जो यूनाइटेड किंगडम में अवकाश पर हो और जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत अध्ययन के लिये बढ़ाना चाहते हों उन्हें उसके लिये भारत के उच्चायुक्त को लिखना चाहिये तथा प्रस्तावित अध्ययन के विवरण भेजने के अतिरिक्त उन्हें अपने प्रार्थना-पत्र के साथ इस बात का लेख्य साक्ष्य भी होना चाहिये कि उन्होंने अवकाश को बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र देने की शासन से अनुमति प्राप्त कर ली है। उन्हें इस बात का भी लेख्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये कि शासन ने उन्हें अध्ययन अवकाश या अध्ययन भत्ता देने की सहमति प्रदान कर दी है।

8—अध्ययन के किसी ऐसे पाठ्यक्रम को अध्ययन भत्ता अथवा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिये या अन्य किसी ऐसे प्रयोजन के लिये मान्यता-प्राप्त नहीं समझा जायेगा जब तक कि उपर्युक्त नियम 6 तथा 7 के अनुसार कम से कम उसकी प्रोटी रूप रेखा को शासन ने स्वीकृत नहीं कर दिया हो और अन्य मामलों में जिनमें पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत करना सम्भव न हो, उनमें उच्चायुक्त ने जब तक विस्तृत विवरणों सहित उसको आरम्भ करने के पूर्व स्वीकृत न कर दिया हो।

9—अध्ययन भत्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने में व्यतीत की गई अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा अथवा किसी विशेष प्रकार के निर्माण कार्य के निरीक्षण के निश्चित दौरे के लिये तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्त में परीक्षा में व्यतीत हुई अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। इस समय जो दौरे निर्धारित हैं वे कि इंग्लैंड में 16 शिलिंग प्रतिदिन योरोप महाद्वीप में 1 पाँच प्रतिदिन तथा अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 शिलिंग प्रति दिन। ये दौरे पुनरीक्षित की जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारी जो अन्य देशों में जिसमें भारत सम्मिलित है, अध्ययन अवकाश लेते हैं, उनके लिये जो दौरे स्वीकृत होंगे उस पर शासन द्वारा प्रत्येक मामले में विशेष रूप से विचार किया जायेगा। किसी भी देश में अध्ययन भत्ता के अतिरिक्त निर्वाह भत्ता नहीं दिया जायेगा और साधारणतया यात्रा व्यय नहीं दिये जायेंगे, किन्तु असाधारण मामलों में शासन द्वारा इस प्रकार के दावों पर उनके गुणागुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

10—दीर्घावकाश की किसी अवधि के लिये अध्ययन भत्ता 14 दिन तक के लिये देय होगा। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी ही सुविधा के लिये पाठ्यक्रम को क्रम भग कर देता है तो उसे दीर्घावकाश नहीं माना जायेगा। शासन के विवेक पर अध्ययन भत्ता एक बार में 14 दिन की अवधि तक का दिया जा सकता है, यदि सरकारी कर्मचारी अस्वस्थता के कारण जो कि डाक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अपने अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रम को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है। उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अध्ययन अवकाश के पश्चात् बिना ड्यूटी पर वापस आये सेवा में निवृत्त होने वाला हो, अध्ययन भत्ता जन्म कर दिया

जायेगा तथा अध्ययन अवकाश को साधारण अवकाश में उस सीमा तक परिवर्तित कर दिया जायेगा जितना साधारण अवकाश उसको सेवा निवृत्त की तिथि को देय होगा। उपर्युक्त अध्ययन अवकाश का जो शेष बचेगा, जिसे इस प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे उसकी पेंशन के लिये गिनी जाने वाली सेवा से घटा दिया जायेगा।

11—सरकारी कर्मचारी जिन्हें अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हो उन्हें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये जो शुल्क देना पड़े उसे साधारणतया स्वयं ही वहन करना चाहिये। असाधारण मामलों में शासन इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार होगा कि ऐसे शुल्क द्वारा शासन ही दिया जाये।

12—जब अध्ययन अवकाश योरोप या अमेरिका में ली गई हो तो अध्ययन के पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर उचित प्रपत्र पर (जो कि उच्चायुक्त से प्राप्त किया जा सकता है) उसका एक प्रमाण-पत्र तथा जिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये हों या जो विशेष अध्ययन किया हो उनका प्रमाण-पत्र उच्चायुक्त को प्रेषित करना चाहिये। जब अध्ययन अवकाश किसी अन्य देश में लिया गया हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्र शासन को अग्रसारित किये जायें। उनमें पाठ्यक्रम के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथियाँ तथा शिक्षक द्वारा यदि कोई अभ्युक्ति दी गई हो तो उसे प्रकट किये गये हों, दिखाया जाना चाहिये। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में या निश्चित अध्ययन के पाठ्यक्रम के मामले में अध्ययन भत्ते का उच्चायुक्त द्वारा या भारत में, जैसा भी मामला हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत दावों के अनुसार जो कि उपस्थिति के उचित प्रमाण-पत्रों पर आधारित होंगे, भुगतान किया जायेगा। जब नियम 6 के अन्तर्गत स्वीकृत अध्ययन के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से इस प्रकार के अध्ययन का पाठ्यक्रम सम्मिलित न हो तो सरकारी कर्मचारी को उच्चायुक्त को या शासन को, जैसा भी स्थिति हो, सरकारी कर्मचारी एक डायरी प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दिखाया जाना चाहिये कि उसका समय कैसे व्यतीत हुआ तथा उसे एक रिपोर्ट भी देना चाहिये जिसमें अध्ययन किये गये तरीकों तथा कार्य विधियों के प्रकार का पूर्ण विवरण होना चाहिये तथा सुझाव भी होना चाहिये कि उन तरीकों या कार्यविधियों को भारत में लागू करने की क्या सम्भावना है। शासन तब निर्णय करेगी कि डायरी तथा रिपोर्ट से क्या यह प्रकट होता है कि सरकारी कर्मचारी का समय उचित प्रकार से व्यतीत हुआ तथा तदनुसार यह निश्चय करेंगे कि नियम 9 में उल्लिखित अध्ययन भत्ता किस अवधि के लिये स्वीकृत किया जाए।

13—अध्ययन अवकाश की अवधि पदोन्नति तथा पेंशन के लिये तो सेवा मानी जायेगी परन्तु अवकाश के लिये नहीं। सरकारी कर्मचारी को जो अवकाश पहले से देय था उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसको अर्द्ध-औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश गिना जायेगा तथा उसे उत्तर प्रदेश मूल नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिये गये अर्द्ध-औसत वेतन की सम्पूर्ण राशि की अधिकतम अनुमन्य सीमा निकालने के लिये हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

टिप्पणी—1 जनवरी 1936 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में अध्ययन अवकाश को उत्तर प्रदेश मूल नियम के नियम 87-क के उप वाक्य (2) के प्रावधानों के अनुसार परिगणित किये हुये अर्द्ध-औसत वेतन पर लिये गये अतिरिक्त अवकाश के रूप में गिना जायेगा।

14—अध्ययन अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी अर्द्ध-औसत वेतन पायेगा, जिसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 9 (2) में दी गई है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह उक्त नियमों के नियम 89 तथा 90 में निर्धारित अधिकतम तथा निम्नतम में सीमित रहेगा। अवकाश के लिए निर्धारित परिवर्तन की दौरे (औसत वेतन पर अवकाश की अवधि के पहले चार महीने के लिये देय दौरे के अतिरिक्त) अध्ययन अवकाश भत्तों के लिये भी लागू होंगे। सरकारी कर्मचारी उचित अधिकारी की स्वीकृति लेकर, जैसा कि नियम 6 या 7 के अनुसार आवश्यक है, औसत वेतन के अवकाश के समय अध्ययन के पाठ्यक्रम को आरम्भ कर सकता है तथा नियम 9 और 10 को ध्यान में रखकर उसके लिये अध्ययन भत्ता ले सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा की अवधि में अध्ययन अवकाश कुल मिलाकर 2 वर्ष से अधिक नहीं लेना चाहिये।

टिप्पणी—1 जनवरी, 1936 या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी के मामले में, इस पैरा में दूसरी बार प्रयुक्त शब्द "औसत वेतन पर अवकाश" के अर्थ लगाना चाहिये "उपार्जित अवकाश" और शब्द "औसत वेतन पर अवकाश की अवधि के पहले चार महीने" जिनको कि इस पैरा में कोष्ठ में दिखाया गया है के अर्थ लगाना चाहिये "उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक न हो"।

नियम 14 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

दीर्घावकाश विभाग का सरकारी कर्मचारी यदि उस अवधि में अपना अध्ययन करता है तो वह दीर्घावकाश के समय दैनिक भत्ता ले सकता है। ऐसे दीर्घावकाश की अवधि के दो वर्ष की अधिकतम अवधि जिसके लिये अध्ययन अवकाश अनुमत्य होता है, के हिसाब लगाने के लिये जोड़ा जायेगा।

15—जब शासन योरोप या अमेरिका में अध्ययन के लिये दिये गये आवेदन-पत्र को स्वीकृत करता है तब उसे उस मामले के विवरणों की सूचना उच्चायुक्त को देनी चाहिये। सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उच्चायुक्त से अपना संपर्क स्थापित करे जो कि अन्य बातों का प्रबन्ध करेगा तथा उसके लिये अपेक्षित परिचय पत्र निर्गत करेगा। उन सब मामलों में जिनमें अध्ययन अवकाश किसी अन्य देश में स्वीकृत होता है उसके विवरणों की सूचना भारत सरकार को दी जानी चाहिये।

उपर्युक्त नियमों से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

(1) राज्य स्वास्थ्य सेवा के सदस्य अपनी सेवा में कुल एक वर्ष तक के साधारण अध्ययन अवकाश ले सकता है तथा उसके अतिरिक्त तीन महीने तक का और अध्ययन अवकाश ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये मिल सकता है, जिसमें उसकी उपस्थिति की छूट इसलिये हो ताकि वह अन्य स्थान में अपना व्यवसायिक अध्ययन कर सके।

(2) ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 3 में निर्धारित अधिकतम का ध्यान न रखते हुये भी अध्ययन अवकाश के साथ असाधारण अवकाश लिया जा सकता है।

(3) भारत के उच्चायुक्त को अध्ययन अवकाश के अन्तर्गत सुविधाओं को स्वीकृत करने के उन सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर जो अध्ययन अवकाश पर हों विचार करने के लिये अपने विवेक को प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। (उदाहरणार्थ नियम 9 तथा 11 के अन्तर्गत यात्रा व्यय तथा शुल्क के लिये)। उच्चायुक्त आवेदन-पत्रों पर आसानी से विचार करने के लिये, नियम 15 के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अथवा उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो भारत के बाहर अवकाश पर हो और जो अपने अवकाश के किसी अंश की अध्ययन अवकाश में परिवर्तित कर सकता हो, नियम 7 में उल्लिखित लेख्य साक्ष्य में इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि क्या भारत सरकार यात्रा व्यय अथवा द्यूशन शुल्क वहन करने को तैयार है, यदि उच्चायुक्त उनको स्वीकृत करना उचित समझे।

(4) उपर्युक्त नियमों के नियम 6 तथा 15 के सन्दर्भ में सरकारी कर्मचारी जिसको अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हो, अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के पूर्व, अध्ययन के कार्यक्रम को उच्चायुक्त को प्रस्तुत करना चाहिये, चाहे अध्ययन अवकाश भारत में स्वीकृत किया गया हो अथवा अवकाश के लिए इंग्लैंड में आवेदन पत्र दिया गया हो।

(5) इंग्लैंड में अध्ययन अवकाश पर सरकारी कर्मचारी जो अध्ययन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये उच्चायुक्त की सहायता चाहती हो उसे बिना शासन द्वारा अधिकृत किये, उच्चायुक्त को प्रार्थना-पत्र नहीं देना चाहिए।

(6) ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 9 के सन्दर्भ में निम्नलिखित भत्ते की दरें उन सरकारी कर्मचारियों के लिये नियत की गई हैं जिन्हें भारत में अध्ययन अवकाश लेने की अनुमति दी गई है।

कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को छोड़कर 3 रुपये प्रतिदिन तथा इन तीन स्थानों के लिये 5 रुपये प्रतिदिन की विशेष दर।

(7) उपर्युक्त नियमों के नियम 9, 11 तथा 12 के सन्दर्भ में शासन ने भारत के उच्चायुक्त को निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का प्रतिनिधान कर दिया है :—

- (1) उन सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले अध्ययन भत्तों की दरें निर्धारित करना जो योरोप या अमेरिका के संयुक्त राज्य के अतिरिक्त अन्य स्थानों में अध्ययन अवकाश लेते हैं।
- (2) असाधारण मामलों में अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त निर्वाह भत्ता तथा यात्रा व्यय स्वीकृत करना।
- (3) असाधारण मामलों में अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए दिये गये शुल्क स्वीकृत करना।
- (4) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो योरोप या अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों में अध्ययन अवकाश लेते हैं, यह निर्णय करना कि सरकारी कर्मचारी को डायरी तथा रिपोर्ट में क्या यह पता लगता है कि उसने अपना समय उचित रूप से व्यतीत किया है और तदनुसार यह निश्चय करना कि किस अवधि के लिए भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त मद (1) व (3) में प्रतिनिधान निम्नलिखित शर्तों के साथ किये गये हैं :—

- (1) उन मामलों में जिनमें कोई कठिनाई या सन्देह है उन्हें शासन के पास आदेश के लिए भेजा जायेगा; तथा
- (2) यह निर्णय लेने के लिए सुविधायें स्वीकृत की जायें या नहीं जिन सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार पहले से परिपाटी चली आ रही है उनका पालन किया जाना चाहिये और अगर पूर्व स्वीकृत नीति से अपवाद करना हो तो मामले को शासन के आदेश के लिये भेजा जायेगा।

§—उपरोक्त नियमों के नियम 10 के सन्दर्भ में शासन उच्चायुक्त को यह अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है कि उस सरकारी कर्मचारी को किसी एक समय, 14 दिन की अवधि तक अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर दे, जो ऐसी बीमारी के कारण अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ हो, जिसके लिये किसी डॉक्टर का समुचित प्रमाण-पत्र होना चाहिये।

9—जब सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश के लिये आवेदन-पत्र देता है तो उसे अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिये :—

- (क) उन व्ययों का एक अनुमान जो वह समझता है कि उसे करने पड़ेंगे;
- (ख) उन व्ययों को पूरा करने के लिये वह जो वित्तीय प्रबन्ध करेगा उसका विवरण; तथा
- (ग) इस आशय का एक हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र कि वह द्यूटी पर लौटने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष तक शासन की सेवा करेगा तथा यदि इस अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन होने पर वह शासन को उस व्यय का भुगतान कर देगा जो उन्होंने वास्तव में उसके अध्ययन अवकाश पर किया है। अध्ययन अवकाश के आवेदन-पत्र पर विचार करते समय शासन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्या फलस्वरूप जो व्यय होंगे उनको वह वहन करने की स्थिति में होगा।

शासन ने जो अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया है उनके विवरण की सूची उच्चायुक्त को भेजते समय उपर्युक्त पृष्ठ-ताछ के निष्कर्षों की भी सूचना भेजेंगे और इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी ने वित्तीय सहायता का प्रश्न उठाया है, चाहे इस रूप में कि उसके शुल्क का भुगतान राज्य के राजस्व से किया जाये अथवा किसी अन्य रूप में। □